

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016 से संबंधित कार्य बिन्दु


क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	<p>राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</p> <p>क) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन करने हेतु अधिसूचना जारी करना।</p> <p>ख) बैंकों द्वारा "वसूली प्रमाण पत्र" को ऑन-लाइन फाइलिंग करने की सुविधा करना।</p> <p>ग) बैंकों द्वारा ₹ 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति "स्टॉम्प शुल्क" से विमुक्त रखना।</p> <p>घ) बैंकों द्वारा वित्तपोषित ₹ 5 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट करना।</p> <p>ड) एन.पी.ए. - एस.एच.जी. को पुनः सक्रिय करने हेतु योजना का विवरण बैंकों को उपलब्ध कराना।</p>	

<p>2</p>	<p>सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं पर सरकारी विभागों, बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु कार्य बिंदु का विवरण :</p> <p>वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य निर्धारण और आवेदन पत्रों का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमशः 33%, 33% एवं 34% प्रेषण करना।</p> <p>क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित करना।</p> <p>ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>ग) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>घ) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।</p> <p>ड) अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।</p>	
----------	---	--

<p>3</p>	<p>विभिन्न सामाजिक योजनाओं में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंकों हेतु कार्य बिंदु :</p> <p>क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना :</p> <p>i) आधार संख्या सिडिंग एवं मोबाइल संख्या सिडिंग सभी खातों में पूर्ण करना।</p> <p>ii) सभी खातों हेतु रु-पे डेबिट कार्ड एवं पिन डिलीवरी में वृद्धि करना।</p> <p>iii) बैंक मित्र या बी.सी. की नियुक्ति करना।</p> <p>ख) वित्तीय समावेशन - ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी को सोलर वी.-सैट अथवा अन्य माध्यमों से पूर्ण करना।</p> <p>ग) सामाजिक सुरक्षा योजना :</p> <p>i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वृद्धि करना तथा उनका नवीनीकरण किया जाए।</p> <p>ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वृद्धि करना तथा उनका नवीनीकरण किया जाए।</p> <p>iii) अटल पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना।</p> <p>घ) वित्तीय साक्षरता हेतु कैम्पों का आयोजन करना।</p> <p>ङ) आरसेटी संस्थाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।</p>	
----------	--	--

<p>4</p>	<p>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</p> <p>क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति करना।</p> <p>ख) ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हेतु जिले में गठित उप-समिति के सुझावों पर कार्रवाई करना।</p> <p>ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार एवं लागू किया जाना।</p> <p>घ) एम.एस.एम.ई. ऋणों में वृद्धि हेतु कार्ययोजना पर कार्रवाई करना।</p> <p>ङ) एन.पी.ए. ऋणों की वसूली करना।</p> <p>i) वसूली प्रमाण पत्रों में कार्रवाई। ii) लम्बित एफ.आई.आर. में कार्रवाई। iii) सरफेसी एक्ट में कार्रवाई। iv) कोर्ट में लम्बित मामलों में कार्रवाई। v) लोक अदालत में कार्रवाई।</p>	
<p>5</p>	<p>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</p> <p>क) स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज हेतु एन.जी.ओ. तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं डी.डी.एम. की कार्यशाला आयोजित करना।</p>	

	<p>ख) वित्तीय समावेशन हेतु बैंकों की कार्यशाला आयोजित करना।</p> <p>ग) परिपक्व स्वयं सहायता समूहों की सूची ब्लाक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध कराना।</p> <p>घ) वित्तीय साक्षरता से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना।</p> <p>ड) वित्तीय समावेशन से संबंधित सोलर वी.-सैट आवेदनों पर कार्रवाई करना।</p>	
6	<p>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</p> <p>क) समस्त बैंकों की वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यशाला का आयोजन करना।</p> <p>ख) विभिन्न बैंकिंग ऋण योजनाओं में बैंकों का मार्गदर्शन करना।</p> <p>ग) एस.एल.बी.एस., उत्तराखंड के त्रैमासिक आँकड़ों के समय पर प्रेषण हेतु बैंकों को निर्देशित करना।</p>	
7	<p>सभी बैंक नियंत्रक, जून, 2016 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-49 पूर्णतः जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 जुलाई, 2016 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट www.slbcuttarakhand.com पर ऑन-लाइन प्रेषण करें।</p> <p>(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</p>	



(01.04.2015 से 31.12.2015)

योजना	लक्ष्य	आवेदन प्राप्त	आवेदन निस्तारित	आवेदन लम्बित
वीर चंद्र सिंह पर्यटन योजना	500			
i) वाहन ऋण	250			
ii) गैर-वाहन ऋण	250			
पी.एम.ई.जी.पी.	1036			
i) डी.आई.सी.	414			
ii) के.वी.आई.सी.	311			
iii) के.वी.आई.बी.	311			
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	1100			
एस.सी.पी.	1705			
i) अनुसूचित जाति	1588			
ii) अनुसूचित जनजाति	100			
iii) अल्पसंख्यक समुदाय	17			
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	925			
i) कैश क्रेडिट लिमिट (एस.एच.जी.)	650			
ii) टर्म लोन (एस.एच.जी.)	275			